इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जनवरी 2022—माघ 4, शक 1943

आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2022

क्र. एफ-2-2-2022-1-उनसठ.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 24 जनवरी 2012 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्र. एफ-2-47-11-1-उनसठ, दिनांक 24 जनवरी 2012 द्वारा ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 21 के तहत डॉ. जे. के. गुप्ता, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी (तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) को ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक रुल्स, 1945 के खण्ड VIA के नियम 67 जी (3) एवं खण्ड VIIA के नियम 85 ईए के प्रयोजनार्थ मध्यप्रदेश राज्य के लिये औषधि निरीक्षक (होम्योपैथी) नियुक्त किया गया था.

2. राज्य शासन, डॉ. जे. के. गुप्ता की उक्त नियुक्ति को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, डॉ. कीर्ति राठौर, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, संचालनालय, आयुष, भोपाल को उक्त प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश राज्य के लिये औषधि निरीक्षक (होम्योपैथी) नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.